नि०प्र०-3241/2018/रीवा/भू०रा०

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मंडल म०प्र०ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा.

राज०निगरानी क्र०/ /018

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

01- अंजनी कुमार सिंह
02- कृष्ण कुमार सिंह
03- सुखनिधान सिंह
04- अमरबहादुर सिंह

सभी के पिता स्व० रामराज सिंह

सभी निवासीगण ग्राम मझिगवां, तह० सिरमौर जिला रीवा, म०प्र०

-----निगरानीकर्तागण

प्र०श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा पेश। 28.5.18

बनाम

शिवा सिंह पत्नी श्री रणजीत सिंह निवासी ग्राम मझिगवां, तह० सिरमौर जिला रीवा, म०प्र०.

----गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०1959 विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्र०क्र० 127/निग./अ-5/09-10 जो आदेश दिनांक 28.3.18 मे पारित ।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

8018 अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28.03.018 एवं विचारण न्यायालय की नक्शा तरमीम की कार्यवाही व आदेश सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

8028 आवेदकगण को न तो अधीनस्थ न्यायालय और न ही विचारण न्यायालयने सुनवाई व पक्ष समर्थन का कोई अवसर नही दिया संबंधितभूमियो के चर्तुदिक सीमा के भूमिस्वामियो को नक्शा तरमीम की कार्यवाही मे नोटिस देकर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–रीवा

प्रकरण क्रमांक **R–3241 / 18**

अंजनी कुमार सिंह / शिवा सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 127 / निग0 / अ–5 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	